राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः एफ.11(3) मो./आईसीडीएस/बजट घोषणा 14–15/139318-350 जयपुर, दिनांकः 18.10.16

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त।

विषयः– आगंनबाड़ी केन्द्र–सह शिशु पालना गृह संचालन के सबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 105717–749 दिनांक 23.12.2014।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृहों का संचालन चयनित शिशु पालना गृह की कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। शिशु पालना गृह की कार्यकताओं के मानदेय भुगतान के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 105717–749 दिनांक 23.12.2014 (की प्रति विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध है।) में स्पष्ट लिखा गया था कि शिशु पालना गृह कार्यकर्ता का मानदेय, अति. पोषाहार, शिशु पालना गृह किराया राशि का भुगतान संबंधित बजट मदों में से किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जब तक शिशु पालना गृह के मानदेय कर्मियों का मास्टर डाटा अपडेट न हो तब तक इन मानदेय कर्मियों का भुगतान मेनुअल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्यरत मानदेय कर्मियों का मास्टर डाटा तैयार कर निदेशालय में उप निदेशक (एनालिस्ट कम प्रोगामर) को भिजवाने की व्यवस्था करावें ताकि इनका राज–पोषण में मास्टर डाटा तैयार किया जा सके।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.11(3) मो./आईसीडीएस/बजट घोषणा 14–15/139361-655 जयपुर, दिनांकः 18.10.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र भेजकर लेख है कि आपकी परियोजना में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र–सह शिशु पालना गृह की कार्यकर्ताओं का भुगतान उपरोक्तानुसार कराना सुनिश्चित करें।
2. ACP मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

H:\\New Microsoft Office Word Document.docx